न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- **श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस**

वाद संख्या :- **04/2017**

उनवान

रामेश्वर पुत्र स्व. श्री गंगूराम जाट निवासी ढाणी लीला का ढेर, तन अमरसर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर ।

वादी

बनाम

1. गुल्ली पत्नी स्व. भूरा, 2. सुवालाल, 3. बाबूलाल, 4. सुल्तान पि0 स्व. भूरा
5. गंगासहाय, 6. सुगलचन्द पि. स्व. घीसा
7. मांगी देवी पत्नी स्व. घीसा
8. सुल्तान पुत्र गंगूराम
9. भैरू, 10. बोदूराम, 11. रिछपाल पि. गोमा
12. गणेश, 13. सरजन पि. नाथू

समस्त वयस्क जाति जाट निवासी निवासी ढाणी लीला का ढेर, तन अमरसर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर ।

14. राजस्थान सरकार तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकास्मा (बंटवारा) एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत दफा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

निर्णय दिनांक 29.04.2019

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। ग्राम अमरसर तहसील शाहपुरा के आराजी संख्या 397 रकबा 0.15 है0, 398 रकबा 0.08 है0, 412 रकबा 0.28 है0, कुल किता 03 रकबा 0.51 है0 भूमि स्थित है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/12 तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायात 13 का हिस्सा 11/12 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी उक्त आराजी पर अपने अपने हिस्से में पुख्ता निर्माण तथा अपने अपने हिस्से पर काश्त कर रहे है। वादी प्रतिवादीगण के मध्य उक्त आराजी का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण वादी आराजी ख. नं. 412 रकबा 0.28 है0 भूमि में आवासीय व कृषि रखरखाव हेतू पुख्ता मकानात बना रखे है। आराजी ख. नं. 397 व 398 की सम्पूर्ण भूमि व ख.नं. 412 की 2358 वर्गमीटर भूमि प्रतिवादीगण के कब्जे में है। प्रतिवादीगण वादी की भूमि में बाधा कारित कर रहे है। जबरन वादी को बेदखल करने पर अमादा है। इस कारण वाद पत्र पेश किया गया है। वादी के द्वारा वादपत्र पेश किये जाने पर विधिवत दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 बावजूद सूचना (रजिस्ट्रर्ड नोटिस) के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 08.05.2018 को दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट हेतू लिखा गया।

तहसीलदार शाहपुरा से उनके पत्र क्रमांक भू.अ./2018/6673 दिनांक 20.12.2018 के द्वारा बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। वकील वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति होना जाहिर नहीं किया तथा दौराने बहस अन्तिम डिक्री जारी

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (कारस) शाहपुरा जिला-जयपुर

Scanned by CamScanner

करने हेतु निवेदन किया। हमने पत्रावली तथा राजस्व रिकार्ड व बंटवारा करेंजात रिपोर्ट का अवलोकन किया। वादी/प्रतिवादीगण के दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होना पाया जाता है।

अतः दावा मुताबिक तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादी/प्रतिवादीगण के निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. वादी रामेश्वर के हिस्से में ख.नं. 412/1 रकबा 0.0442 है0 भूमि।
2. प्रतिवादीगण 1 लगायत 13 के हिस्से में आ. ख.नं. 412/2 रकबा 0.2358 है0 भूमि।
3. आ.ख. नं. 397 रकबा 0.15 है0, 398 रकबा 0.08 है0 कुल किता 02 रकबा 0.23 है0 भूमि काश्तकार बदस्तूर खातेदार शामलाती में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2019 को सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(नरेन्द्र कुमार मीणा)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

वाद संख्या :– 04/2017

उनवान

रामेश्वर पुत्र स्व. श्री गंगूराम जाट निवासी ढाणी लीला का ढेर, तन अमरसर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर ।

वादी

बनाम

1. गुल्ली पत्नी स्व. भूरा, 2. सुवालाल, 3. बाबूलाल, 4. सुल्तान पि0 स्व. भूरा
5. गंगासहाय, 6. सुगलचन्द पि. स्व. घीसा
7. मांगी देवी पत्नी स्व. घीसा
8. सुल्तान पुत्र गंगूराम
9. भैरू, 10. बोदूराम, 11. रिछपाल पि. गोमा
12. गणेश, 13. सरजन पि. नाथू

समस्त वयस्क जाति जाट निवासी निवासी ढाणी लीला का ढेर, तन अमरसर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर ।

14. राजस्थान सरकार तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर टी ए व स्थायी निषेधाज्ञा

आदेश दिनांक 29.04.2019

अतः दावा मुताबिक तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वादी/प्रतिवादीगण के निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. वादी रामेश्वर के हिस्से में ख.नं. 412/1 रकबा 0.0442 है0 भूमि।
2. प्रतिवादीगण 1 लगायत 13 के हिस्से में आ. ख.नं. 412/2 रकबा 0.2358 है0 भूमि।
3. आ.ख. नं. 397 रकबा 0.15 है0, 398 रकबा 0.08 है0 कुल किता 02 रकबा 0.23 है0 भूमि काश्तकार बदस्तूर खातेदार शामलाती में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें।

आज तारीख 29.04.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner